



**बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण**  
**INSURANCE REGULATORY AND**  
**DEVELOPMENT AUTHORITY**

(बीमा दलाल) विनियम, 2013  
(Insurance Brokers) Regulations, 2013

फॉर्म सी  
(विनियम (18) देखें)  
FORM C  
(See Regulations 18)

लाइसेंस संख्या: 216  
Licence No. ....

1. मेसर्स. लैन्डमार्क इश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.

(जीवन एवं साधारण) दलाल  
श्रेणी प्रत्यक्ष

का लाइसेंस बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की धारा 18 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) के अधीन नवीकृत किया जाता है।

The Licence of M/s. LANDMARK INSURANCE BROKERS PVT. LTD. category DIRECT Broker is hereby renewed under section 18 of Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 and Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999).

2. यह लाइसेंस 13-10-2015 से 12-10-2018 तक विधिमन्य होगा।  
This Licence shall be valid from 13-10-2015 to 12-10-2018

3. हैदराबाद में 06 दिन अक्टूबर दो हजार पंद्रह को जारी किया गया  
Issued at Hyderabad on 06 day of OCTOBER, Two Thousand FIFTEEN

4. यह लाइसेंस इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4), उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जानेवाले दिशा निर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों का पालन करेगा

This Licence is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all provisions of the Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999 (4 of 1999), the Rules and Regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.

स्थान: हैदराबाद  
Place: HYDERABAD  
दिनांक: 06-10-2015  
Date: 06-10-2015

आदेशानुसार / By Order

NBSethi

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से  
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority